कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं.: स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-24/2016-17/

दिनांक : /10/2016

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिक परिषद, जसपुर

जनपद- उधमसिंह नगर

विषय : नगर पालिका परिषद, जसपुर का वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग-4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर एंव भाग -4 (ब)-2 में आठ प्रस्तर एवं STAN 3 प्रस्तर** हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या सचिव एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं. स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-247/2016-17/ दिनांक : /10/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 43/6 माता मन्दिर, धर्मपुर, देहरादून

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये नगर पालिका परिषद जसपुर, उधमसिंह नगर पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत शहरी निकाय अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री मुहम्मद उमर - अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद

श्री नरेन्द्र कुमार अधिशासी, अधिकारी नगर पालिका परिषद जसपुर

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री एस के त्यागी, व.ले.प.अ.

(ii) श्री पी.एल. शर्मा, स.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 07.06.2016 से 17.06.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:- 2013-14 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **नगर पांलिका परिषद- जसपुर, जिला- उधमसिंह नगर**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : 10.6 वर्ग कि.मी.

जनसंख्या : 56000

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या 13
3. (अ) न0प0प0 द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 8

(ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:-

4. बैठक :
5. कर्मचारियों की संख्या : 66
6. पंचायतराज की सम्पतियां : -विवरण सलंग्न
7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -
8. योजनाओं की संख्या :-
9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : विवरण सलंग्न
11. वर्ष के दौरान कुल व्यय :-बजट में उपलब्ध कराया गया

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गयाः

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **नगर पालिका परिषद, जसपुर** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2012-13 से 2015-16 तथा की सम्प्रेक्षा श्री एस. के त्यागी, व.ले.प.अ., एवं श्री पी.एल. शर्मा, स.ले.प.अ द्वारा दिनांक 07.06.2016से 17.06.2016 कर सम्पादित कि गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-1**	**प्रस्तर भाग-4(ब)II**	**STAN**
AIR-258/2015-16	प्रस्तर 01 से 04	प्रस्तर 01 से 05	01

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग**
		प्रस्तरों की संख्या
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर -	2013-14	

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची- शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख- कार्य पंजिका, अग्रिम पंजिका, अनुदान पंजिका निक्षेप पंजिका

भाग-4(ब)-II

प्रस्तर 1:- विगत 11 वर्षों से धनराशि ` 60.29 लाख का अवरोधन।

भारत सरकार के पत्र सं.14011/1/2004-05/UD-I दिनांक 22-12-2004 के संदर्भ में दिनांक 22-03-2005 को शासनदेश सं0100/V श0वि0आ0 2004-05 (आ0)/2001 द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 में छोटे तथा माध्यम श्रेणी के नगरों के संगठित विकास योजना(आई0डी0एस0एम0टी0) अन्तर्गत जसपुर पालिका परिषद को धनराशि `75.00 लाख(केन्द्राशं ` 45.00 लाख व राज्यांश ` 30.00 लाख) के व्यय की स्वीकृति दी गयी थी जिसके परिपेक्ष में जनवरी 2006 में निदेशक, शहरी विकास द्वारा योजनान्तर्गत निम्न 03 कार्ययोजनाओं के अनुमानित आगणनों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

1. मौ0 भूपसिहं में कामर्शियल काम्पलेक्स(सी2) ` 49.72 लाख
2. पर्यटक गृह, नगर पालिका परिषद, जसपुर(एम2) ` 57.64 लाख
3. रा0रा0 74 संयुक्त चिकित्सालय तक सड़क निर्माण(टी 1) ` 19.19 लाख

कुल ` 126.55 लाख

पालिका परिषद की योजना से सम्बंधित पत्रावलियों के अवलोकन में ज्ञात हुआ कि ` 75.00 लाख की राशि पालिका परिषद को मार्च 2005 में अवमक्त कर दी गयी थी। परिषद द्वारा उपरोक्त 03 कार्य योजनायो में से केवल कार्य योजना न0-03 रा0रा0 74 से संयुक्त चिकित्सालय तक सड़क निर्माण" का निर्माण कार्य ही सम्पादित कराया गया था जिस पर धनराशि ` 14.70 लाख का व्यय किया गया था। कार्य योजना 1 व 2 स्थल पर विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं हो पाये थे। इस प्रकार अवशेष धनराशि ` 60.29 लाख पालिका परिषद के खातों में विगत 11 वर्षो से अप्रयुक्त रखी हुई थी। सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि भारत सरकार द्वारा आई0डी0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत नई परियोजनाओं को मार्च 2005 तक तथा चालू परियोजनाओं को मार्च 2007 तक केन्द्रीय सहायता जारी की गयी थी तथा वर्ष 2005-06 से इस योजना को यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजन में शामिल कर लिया गया था।

अप्रयुक्त धनराशि को वापिस किये जाने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में शासन/ निदेशालय से कोई निर्देश प्राप्त नही हुआ था।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही था क्योंकि मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन न भेजे जाने की स्थिति में अन्य योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार

को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता बन्द करने तथा सम्बन्धित संस्था को ब्लेक लिस्ट किये जाने हेतु आगाह किया था।

अतः धनराशि ` 60.29 लाख के अनावश्यक अवरोधन का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4(ब)-II

प्रस्तर 2:- दुकान किराय, गृहकर/तहबाजारी इत्यादि स्रोतों से ` 59.17 लाख की लम्बित वसूली।

नगर पालिका परिषद के दुकान किराये, सम्पत्ति कर, भूमि कर जिन पर स्वामित्व नगर पालिका का है तथा जो किराये पर दिये गये है तथा हडडो चरसा, पशु बाजार एवं तहबाजारी हेतु आवंटित ठेको से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विगत वर्षों से 31 मार्च 2016 तक विभिन्न स्रोतो से प्राप्त होने वाली आय/वसूली के रुप में ` 59.17 लाख की धनराशि (सूची संलग्न)वसूली लम्बित थी दुकान किराये से सम्बन्धित पत्रावली/अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया अनुबन्धों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में 12.5 प्रतिशत किराया बढाने का प्रावधान है परन्तु विभाग द्वारा किराये रुप में ` 57 से ` 285 तक अधिकतर दुकानदारों से वसूल किया जा रहा था। जिससे प्रतीत होता है कि किराए किसी प्रकार की वृद्धि नही की गई थी। केवल एक दुकान से ` 1000- का किराया प्राप्त किया जाता था किराए की वृद्धि न होने के कारण पालिका परिषद को आर्थिक हानि हो रही थी। तथा पुर्ननिरीक्षण हेतु कोई कार्यवाही नही की गई थी। इसके अतिरिक्त लम्बित वसूली हेतु आवश्यक प्रयास नहीं किए गए थे तथा न ही सम्बन्धित बकाया दारों को नोटिस/अर्थदण्ड इत्यादि जैसे कार्यवाही की गई थी। जबकि नगर पालिका के अनुसार बकायादारों पर 01 प्रतिशत का अर्थदण्ड वसुलने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि बोर्ड प्रास्तावना के अनुसार कार्यवाही की जाएगी तथा वृद्धि हेतु प्रयास किये जाएगे। तहबाजरी से सम्बन्धित वसूली हेतु सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली हेतु कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नही हैं क्योंकि 03 वर्षों से वसूली लम्बित रहना तथा प्रतिवर्ष वसूली हेतु धनराशि में कमी न होने से पालिका परिषद को प्राप्त होने वाली आय से वंचित होना पडता है जिससे विकास कार्य प्रभावित होते है। जबकि शासन द्वारा भी उक्त संस्थानों अपनी आय में वृद्धि हेतु प्रयास करने हेतु आदेशित किया जाता है।

अतः ` 59.17 लाख की लम्बित वसूली से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4(ब)-II

प्रस्तर3:- निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर न लगाने से विभाग को ` 1,81,420 की राजकीय राजस्व की क्षति।

महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 354/ म0नि0नि0 2013-14 दिनांक 10-07-2012 के अनुपालना में सहायक महानिरीक्षक निबन्धक, उधमसिहं नगर के पत्र सं0 122 दिनांक 04-04-2013 द्वारा प्रत्येक नगर निगम,नगर पालिका परिषद, नगर पचायत को उच्चतम न्यायलय के आदेश दिनांक 17-02-2011 का सामदा करते हुए प्रत्येक तहबाजारी, पार्किंग इत्यादि के ठेकेदार ठेके को सम्पूर्ण धनराशि का 2% की दर से स्टाम्प डयूटी शुल्क की अदायगी निर्धारित की गई है।

नगर पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक तहबाजारी से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा विभिन्न ठेकेदारों से अनुबन्ध के अनुसार 2% की दर से स्टाम्प पेपर नहीं लगए गए थे। जिसके कारण निम्न विवरण अनुसार ` 1,81,420- राजकीय राजस्व की हानि हुई थी।

क्र.स.	ठेके का नाम	वर्ष	ठेकेदार का नाम	ठेके की सम्पूर्ण राशि(लाखमें)	देय स्टाम्प (हज़ार में)	लगाए गए स्टाम्प	हानि
1(i)	तहबाजारी	2013-14	श्री हैदर अली	26.01	52020	-	52020
(ii)	तहबाजारी	2013-14	श्री हैदर अली	8.70	17400	-	17400
2.	तहबाजारी	2014-15	श्री अजय कुमार	27.00	54000-	-	54000
3.	तहबाजारी	2015-16	श्री अजय कुमार	29.00-	58000-	-	58000
				योग	**1,18,420**	-	**1,81,420**

उपयुक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित ठेकेदारों से तदानुसार अवगत कराकर कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर मान्य नही है जबकि शासन द्वारा इस के सम्बन्ध में स्पष्ट रुप से आदेश किए गए थे।

अतः ` 1,81,420 लाख की राजकीय राजस्व की हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-4(ब)-II

प्रस्तर 4:- ` 66.04 लाख की धनराशि व्यय होने के पश्चात भी नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण, प्रबन्धन एवं हथालन नियम 2000 के अनुसार न किया जाना।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2000 (Municipal Solid Waste Management and Handling 2000) के अनुसार प्रत्येक नगर निगम,नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को नगरीय ठोस अपशिष्टों के निस्तारण हेतु उसका संग्रहण, पृथक्करण परिवहन प्रसंस्करण एवं निपटान(Collection, Storage, Segregation, Transformation, Processing & Disposal) के लिए उत्तरादायी होगा। उक्त कार्य नगर पालिका परिषद, एवंम या किसी ऐजन्सी के माध्यम से भी कराया जा सकता है। उक्त नियमों के अनुसार निगम या पालिका परिषद को राज्य प्रदूषण बोर्ड से प्राधिकार पत्र एवं अनापत्ति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। नगर पालिका परिषद की नगरीय ठोस अपशिष्ट के जैव अपघटनीय और गैर जैव अपघटनीय का सुरक्षित संग्रहण एवं पृथक करण करना अनिवार्य है। ठोस अपशिष्टों का भण्डारण खुले वातावरण में न कर ट्रेंनिगं ग्राउण्ड में किया जाना आवश्यक है। ताकि कूडा जनता के स्वास्थ के लिए हानिकारक न हो। कूडे को न जलाने हेतु भी निर्देशित किया गया है। नगरीय ठोस अपशिष्टों के भण्डारण हेतु "बिन्स" तथा हथालन एवं परिवहन के लिए बन्द वाहनों का उपयोग करना आवश्यक है ताकि कूडा सडक पर न फैके। कूडे के प्रसंस्करण हेतु पूनर्चक्रण हेतु प्लाण्ट की व्यवस्था किया जाना भी नियमानुसार आवश्यक है।

शासनादेश अनुसार पालिका द्वारा व्यवसायिक भवनों, होटलों एवं अन्य प्रतिष्ठानों तथा चिक्तसीय अपशिष्टों के पृथककरण हेतु भी सम्बन्धित श्रोतों पर ही कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। कि होटलों एवं अन्य व्यवसायिक भवनों से यूजर चार्जित के रुप में धनराशि वसूली जा सकती है ताकि पालिका की आय में वृद्धि हो सके।

नगर पालिका परिषद, जसपुर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि पालिका परिषद द्वारा ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित नियमों का पालन नहीं किया गया था। ट्रेंचिंग ग्राउण्ड हेतु भुमि उपलब्ध कराने से सम्बन्धित विभाग द्वारा वन विभाग से कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी जबकि निदेशक शहरी विकास उत्तराखण्ड द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था। कूड़ा संग्रहण हेतु बिन्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। परिवहन हेतु बंद वाहनों की व्यवस्था नहीं की गी थी। पालिका द्वारा उत्तराखण्ड़ पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रक बोर्ड काशीपुर को भी नगरीय ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन नहीं किया गया था। जिसके सम्बन्ध में उक्त विभाग द्वारा पत्र सं. 9/16/718-90 दिनांक 10/05/2016 निर्दशित किया गया था।

व्यावसायिक भवनों से यूजर चार्जिज का भी प्रावधान नहीं किया गया था जबकि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देशित किया गया था। जैविक एवं अजैविक कूडे के पृथक्करण एवं प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण हेतु भी व्यवस्था नहीं की गई थी

14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत विभाग को ठोस अपशिष्ट हेतु ` 66.04 लाख को धनराशि पत्र सं. 847/xxvii(i)/2015 दिनांक 25.07.2015 को उपलब्ध करायी गई थी। परन्तु ` 66.04 लाख की धनराशि उपलब्ध होने के पश्चात भी नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 से सम्बन्धित नियमों के पालन हेतु ठोस प्रयास नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि भूमि की उपलब्धता हेतु वन विभाग व अन्य उच्चाधिकारीयों को अवगत कराया गया है। वन विभाग से भूमि प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि शासन द्वारा बार बार निर्देशित कराने एवं धनराशि उपलब्ध कराने के पश्चात भी इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नही की गई है।

अतः नगरीय ठोस अपशिष्ट हथालन एवं प्रबन्धन नियम 2000 के नियमों का पालन न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- सेवा पुस्तिकाओं का रख रखाव वर्ष 2008 के पश्चात न करना तथा चार सेवापुस्तिकाऐं न बनाना।

नगर पालिका में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवापुस्तुकाओं एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2008 के पश्चात सेवापुस्तिकाओ में प्रविष्टियाँ नही की गई थी। कर्मचारियों के हस्ताक्षर नहीं थे। सेवाऐं सत्यापित नहीं थी। वेतन निर्धारण/ग्रेड पे/ए.सी.पी./पदोन्नति से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र सेवा पुस्तिका में संलग्न नहीं थे। समस्त कर्मचारियों के पेंशन उपादान पेंशन, सा. भि.नि. इत्यादि से सम्बन्धित आवश्यक नामांकन प्रपत्र नहीं भरवाए गए थे तथा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी। अवकाश लेखे अघतन नहीं थे तथा चार कर्मचारियों श्रीमति रमेशे देवी, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री बिन्नी तथा श्री जयप्रकाश जिनकी नियुक्ति तिथि क्रमशः 08.01.2008, 08.01.2008, 17.05.2010 तथा 30.09.2015 थी, कि सेवापुस्तकाऐं नहीं बनाई गई थी। इस प्रकार दो कर्मचारियो की नियुक्ति से आठ वर्षो के पश्चात भी सेवापुस्तिकाऐ उपलब्ध नहीं थी। सेवापुस्तिकाओं में कर्मचारियों के फोटों नहीं थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि नामांकन प्रपत्र भरवाऐ जाऐंगे तथा सेवापुस्तिकाऐ त्यौर की जाएगीं।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि सेवापुस्तिका कर्मचारियों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अभिलेख है तथा सेवापुस्तिकाएं तैयार न करना एक गम्भीर अनियमितता है
अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4(ब)-II

प्रस्तर 5:- अनुदान पंजिका, अग्रिम पंजिका, निक्षेप पंजिका जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख रखाव न करना।

कार्यालय नगर पालिका परिषद की निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अभिलेखो की जाँच मे पाया गया कि निम्न पंजिकाओ का विभाग द्वारा रख-रखाव नहीं किया जा रहा था

1) कार्य पंजिका - कार्यो से सम्बन्धित पूर्ण विवरण जैसे कार्य का नाम स्वीकृत राशि, मद का नाम , भूगतान की गई धनराशि तथा चैक सं./ दिनांक का अंकन किया जाता है तथा जिस से विभाग द्वारा विभिन्न वर्षो मे कराए गए कार्यो का वर्षवार लेखा जोखा ज्ञात होता है। पंजिका न बनाए जाने के कारण उक्त विवरण मदवार व्यय की गई राशि तथा कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण/आरम्भ/अनारम्भ ज्ञात नहीं हो पर रहा था।
2) अनुदान पंजिकाः जोकि एक महत्वपूर्ण अभिलेख है तथा विभाग द्वारा प्राप्त प्रत्येक मदो के अन्तर्गत धनराशि/कार्ययोजना तथा व्यय की गई धनराशि एवं असमायोजित विवरण उपलब्ध कराया जाता है। उक्त पंजिका के अभाव में मदो से प्राप्त अनुदान तथा असमायोजित/व्यय तथा लेखों की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो पा रही थी।
3) अग्रिम पंजिकाः समय समय पर निर्माण कार्यो के सापेक्ष ठेकेदारों को कार्य में तीव्रता लाने हेतु अग्रिम के रुप मे धनराशि प्रदान की जाती है जिसका अंकन अग्रिम पंजिका मे किया जाता । ताकि देयक पर भुगतान करते समय समायोजन किया जा सके तथा अग्रिम असमायोजित न रहे। परन्तु विभाग द्वारा अग्रिम पंजिका के अभाव में स्वीकृत एवं भुगतान किए गए अग्रिमो के समायोजन से सम्बन्धित आंकलन एवं जाँच करना असम्भव है।

4) निक्षेप पंजिकाः ठेकेदारों से निर्माण कार्यो के प्रारम्भ में ही विभागीय सुरक्षा हेतु जमानत के रुप मे निक्षेप राशि प्राप्त की जाती है कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष पश्चात उक्त धनराशि वापस की जाती है।उक्त पंजिका के अघतन न होने के कारण विभाग द्वारा प्राप्त तथा वापस की गई धनराशि का ब्यौरा प्राप्त नहीं हो पा रहा था तथा विभाग के ऊपर देनदारी का वास्तविक आंकलन नही किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि उक्त पंजिकाओ का रख रखाव किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख रखाव न करना शासकीय आदेशो का उल्लंघन है तथा विभागीय लापरवाही का घोतक है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2:- स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय के कारण ` 17.14 लाख की हानि।

नगर पालिका परिषद्, जसपुर द्वारा वर्ष 2015-16 के अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत कराए गए निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अभिलेखो की जाँच में पाया गया कि स्वीकृत धनराशि से अधिक की धनराशि निर्माण कार्यों पर व्यय की गई थी जिसके कारण न्यूनतम दर से कार्य आवंटन कराने का आधार औचित्यहीन होता है तथा आगणन त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है अथवा ठेकेदारों को व्यक्तिगत लाभ दिया गया है। जाँच में पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा आंकलन/स्वीकृत धनराशि से अधिक के 3 कार्य बिना वित्तीय/प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के किया गया था जिसके कारण विभाग को ` 17.14 लाख की अधिक धनराशि व्यय हुई है। जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत/अनुबन्ध धनराशि (लाख में)	कराए गए कार्य की धनराशि (लाख में)	अन्तर
1.	गर्ग अस्पताल से नुरी मस्जिद के पीछे नाला व पुलिया का निर्माण	87.25	88.92	1.67
2.	फैजे-ए-आम स्कूल से धर्म	73.32	83.15	9.83

	काँटे तक व वार्ड 05 में जोशी के घर से नहर तक नाला निर्माण			
3.	सी.सी.रोड व टाईल्स मार्ग निर्माण, तेगबहादूर के मकान से लेकर मंगूनाथ की पुलिया तक	7.00	12.64	5.64
			योग	17.14

उपर्युक्त के सम्बन्ध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि बोर्ड प्रस्ताव के आधार पर कार्य कराए गए है तथा तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली जाएगी।

उत्तर सन्तोषजनक नही है क्योंकि कार्य योजना तैयार करते समय ही पूरा आगणन माप एवं व्यय होने वाली राशि का आंकलन किया जाता है तथा कार्य में किसी परिवर्तन की दशा में शासन से पुनरिक्षण आगणन हेतु वित्तीय/प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति लेना अनिवार्य है। जैसा कि आवंटित मदों से सम्बन्धित दिशा-निर्देशो मे भी उल्लिखित है कि आंगणन में परिवर्तन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रुप से ली जाए । तथा कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराशि स्वीकृति की गई है। तथा स्वीकृति से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। विस्तृत आंगणन में प्रावधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगी। इस प्रकार `17.14 लाख स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किया जाना शासन द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लंघन है तथा 17.14 लाख की आर्थिक हानि की हैं।

अतः स्वीकृत राशि से 17.14 लाख की धनराशि अधिक व्यय करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4(ब)-II

प्रस्तर 6:- राज्य वित्त एवं अवस्थापना विकास निधि से कराए गए `105.33 लाख के अपूर्ण कार्य।

नगर पालिका परिषद् द्वारा वर्ष 2015-16 मे राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान से कराए गए निर्माण कार्य वार्ड नं. 13 में NH 74 से परवीन के घर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण "जिसकी स्वीकृति लागत ` 18.08 लाख थी न्यूनतम निविदा के आधार पर ` 1806192 मे कार्यादेश सं. 217/2013-14/13 दिनांक 16.07.2015 द्वारा ठेकेदार श्री मुबीन आलम को स्वीकृत किया गया था कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह थी परन्तु माह जून 2016 तक कार्य पूर्ति से सम्बन्धित कोई भी देयक, मापन प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा उक्त धनराशि विभाग के पास अवरुद्द पडी थी।

2) अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत कराए गए कार्य की गर्ग अस्पताल से नूरी मस्जिद के पीछे नाला व पुलिया का निर्माण हेतु सचिव/ निदेशक, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 1504 दिनाकं 26.04.2015 द्वारा `87.25 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। न्यूनतम

निविदा के आधार पर ` 86,92,717/- में कार्यादेश सं. 499A दिनांक 07.01.2016 द्वारा आवंटित किया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि 4 माह थी। कार्य को पुनीरिक्षत कर `88.92 लाख का कर दिया गया था परन्तु पुनरिक्षत आगणन की तकनीकी/प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति के बिना ही कार्य की स्वीकृति दी गई थी। जून 2016 तक कार्य पूरा नही किया गया था। ठेकेदार द्वारा `24,40,402/- का चलित देयक प्रस्तुत किया गया था। जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा ठेकेदार को ` 23.00 लाख का भुगतान किया गया था तथा `64.25 लाख विभाग के पास अवरुद्द पडी थी।

इस प्रकार उपर्युक्त दोनो कार्यों में विलम्ब के पश्चात भी विभाग द्वारा सम्बन्धित ठेकेदारों के विरुद्द शर्तों के अनुसार कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई थी। ठेकेदारों द्वारा समय विस्तार/वृद्दि हेतु भी कोई आवेदन नहीं किया है। जबकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्यापूर्ति में समय सीमा का पालन कराने हेतु सक्षम अधिकारी पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगें। दोने कार्यो के अपूर्ण रहने के कारण `23.00 लाख की धनराशि व्यय की गई थी। तथा 82.33 लाख की धनराशि विभाग के पास अवरुद्द पडी थई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि दोनो कार्य पूर्ण है अन्तिम मापन के पश्चात भूगतान किया जाएगा।

उत्तर सन्तोषजनक नही हैं क्योंकि कार्यो को समय से पूरा कराना विभाग की जिम्मेदारी है। ताकि उपयोगिता प्रमाणपत्र सम्बन्धित विभागो को समय से प्रेषित किया जा सके। जैसा कि मदो के आवंटन से सम्बन्धित दिशा निर्देशो में उल्लिखित है।

अतः ` 105.33 लाख के अपूर्ण कार्यों का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-4(ब)-II

प्रस्तर 7:- JCB मशीन क्रय पर ` 22.20 लाख की बैंक ऋण व ब्याज के रुप मे पालिका की देनदारी बढ़ाना तथा मशीन का पंजीयन न होना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय एक नियम 13 के अनुसार अधिप्राप्तिकर्ता प्राधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि व्यर्थ की जाने वाली धनराशि का सरकार को समुचित प्रतिलाभ मिल सके। नियम के अनुसार सामग्री के रख रखाव हेतु निश्चित अवधि की संविदा सामग्री के आपूर्तिकर्ता के साथ की जाए। मशीनो की वारण्टी अवधि मे आपूर्तिकर्ता के साथ की जाए। मशीनो की वारण्टी अवधि मे आपूर्तिकर्ता द्वारा निशुल्क रख रखाव किया जाएगा और भुगतान रख रखाव के उपरान्त ही किया जाएगा। विभागीय सुरक्षा हेतु प्रत्येक सफल निविदादाता से कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) ली जाएगी। अधिप्राप्ति नियमावली की अध्याय नियम 29 के अनुसार अधिप्राप्ति में सामान्यतः निम्नलिखित चरणो का पालन करना होगाः-

(1) आवश्यकताओ की स्वीकारोक्ति।
(2) प्रशासनिक अनुमति/अनुमोदन
(3) वित्तीय संस्वीकृति

(4) तकनीकी स्वीकृति

(5) धनराशि का विनियोग

नियम 30 के अनुसार बजट की उपलब्धता तथा व्यय करने की संस्वीकृति उपलब्ध है।

नगर पालिका परिषद्, जसपुर में जे.सी.बी. क्रय करने से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच मे पाया गया कि विभाग द्वारा बोर्ड प्रस्तावना सं. 51(7) दिनांक 01.08.2015 के जे.सी.बी. मशीन बैंक ऋण के माध्य से क्रय करने हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गई थी तथा न्यूनतम निविदा के आधार पर "Time Equipment Pvt. Ltd." फरीदाबाद से क्रय की गई तथा सम्बन्धित कम्पनी द्वारा 3.12.2015 की मशीन की आपूर्ति की गई थी। जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा बैंक ऋण के माध्यम से दिनांक 29.2.2016 को तीन ड्राफ्ट (` 10.00+`10.00+`2.20 लाख) कुल ` 22.20 लाख के उपलब्ध कराए गए। ऋण "अर्बन कोओपरटिव बैंक लि., जसपुर से प्राप्त किया गया। जिसके कारण विभाग के उपर ` 22.20 लाख तथा उस पर आने वाले देय ब्याज की आर्थिक देनदारी बढ़ गई। जबकि इकाई द्वारा पूर्व में ही व्यक्त किया गया था कि पालिका की आर्थिक स्थिति अच्छी नही हैं। तथा विभाग को महा अगस्त 2015 मे ही 14 वें वित्त के अन्तर्गत ` 66.04 लाख का अनुदान ठोस अपशिष्ट से सम्बंधित प्रबंधन , सेप्टेज प्रबंधन, सहित स्वच्छता, स्ट्रीट लाईट हेतु किया जाना था। परन्तु विभाग द्वारा उक्त राशि से JCB क्रय न कर बैंक से ऋण के आधार पर क्रय की। जबकि बजट उपलब्ध होने पर ही अधिप्राप्ति की जा सकती थी।

उक्त क्रय से सम्बन्धित व्यय हेतु विभाग द्वारा शासन से न तो वित्तीय स्वीकृति/प्रशासनिक स्वीकृति ली गई थी तथा न ही शासन की तदानुसार अवगत कराया गया था।

इसके अतिरिक्त उक्त मशीन का 08 माह के पश्चात भी पंजीकरण नही कराया गया था क्योंकि पंजीयन अधिकारी सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन काशीपुर द्वारा पत्र सं. 169/माडल/पंजीकरण/2016 दिनांक 25.05.2016 द्वारा पालिका को अवगत कराया गया था कि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 135(2) के अन्तर्गत राज्य में पंजीयन हेतु अनुमोदन प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्रत्येक मोटरयान के निर्माता अथवा उनके अधिकृत डीलर द्वारा परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड के समक्ष प्रपत्र एस. आर. 47-के में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसके साथ उपनियम (4) में निहित शुल्क भुगतान करने पर वाहन का निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी अथवा परिवहन आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट समिति द्वारा किया जाएगा। यथा स्थिति सक्षम प्राधिकारी या समिति द्वारा पर्वतीय मार्गो पर वाहनो के संचालन की अनुमन्यता, व्हीलबेस, ओवरहैंग, सीटो की बनावट, आकस्मिक निकास, कर अदायगी आदि पक्षो पर विचार करते हुए अपनी संस्तुति निरीक्षण से एक सप्ताह के भीतर परिवहन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी संस्तुतियो के आधार पर परिवहन आयुक्त द्वारा वाहन की राज्य के पंजीयन किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अतः उक्त वाहन के पंजीयन किये जाने हेतु स्वीकृति न होने के कारण पंजीकरण नहीं किया जा सकता था। अतः उक्त मशीन की। अनुमोदन स्वीकृति के पश्चात ही पंजीयन से सम्बन्धित किए बिना वाहन का उपयोग करना मोटरयान नियमावली का उल्लंघन है तथा पंजीकरण न होने के कारण उक्त वाहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी/प्रशासन द्वारा जब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है तथा वाहन पर किए गए व्यय की सम्पूर्ण धनराशि निष्फल हो सकती है तथा विभाग पर अवैध वाहन चालको की दशा में आर्थिक दण्ड एवं वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि सफाई व्यवस्था सुद्ढ बनाने हेतु बोर्ड प्रस्ताव के आधार पर बैंक ऋण से मशीन क्रय की गई है। पंजीयन हेतु उक्त कम्पनी से पत्राचार किया जाएगा। तथा 14 वें वित्त से प्राप्त धनराशि पथ प्रकाश इत्यादि पर व्यय की गई थी।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि अधिप्राप्ति बजट की उपल्बधता के आधार पर किया जाना चाहिए था तथा अधिप्राप्ति से पूर्व वाहन के पंजीयन इत्यादि सभी बिन्दुओ पर ध्यान नहीं दिया गया था। अनुबन्ध न भराने के कारण विभागीय सुरक्षा हेतु धरोहर, इत्यादि का प्रावधान किया गया था तथा कम्पनी को वाहन के पूर्व जाँच एँव संचालन अनुमान्यता से पूर्व ही पूर्ण भुगतान किया गया था। जो कि शासकीय आदेशो का उल्लंघन है। जिसके कारण ऋण की देनदारी के पश्चात भी वाहन को राज्य मे वैधता सुनिश्चित नही की जा सकी थी तथा सम्पूर्ण धनराशि की देनदारी विभाग के ऊपर बढ़ गई थी।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-4(ब)-II

प्रस्तर 8:- विभिन्न मदो के तहत प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज ` 4.56 लाख की धनराशि राजकोष को जमा न करना।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश अनुसार स्थानीय निकायो, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतो की विभिन्न मदो के तहत प्राप्त धनराशि जैसे राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त, सांसद निधि इत्यादि की धनराशि जो लम्बे समय तक व्यय न होने के कारण बैंको में जमा रहती है पर अर्जित ब्याज राजकोष मे लेखाशीर्षक '0049 ब्याज प्राप्तियाँ' अथवा चालान द्वारा राजकोष में जमा कर सम्बन्धित विभागो को वापस की जानी चाहिए।

नगर पालिका परिषद, जसपुर की सम्प्रेक्षा मे पाया गया कि विभिन्न मदो के तहत प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज ` 4.56 लाख को कोषागार में सम्बन्धित लेखाशीर्षकों मे जमा नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि अर्जित ब्याज की धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस कर दी जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि शासन के स्पष्ट निर्देशो के बावजूद विभिन्न मदों के तहत अर्जित ब्याज न तो राजकोष मे जमा की गई थी तथा न ही सम्बन्धित विभाग की चालान द्वारा वापस की गई थी।

अतः ` 4.56 लाख ब्याज को राजकोष मे जमा न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 3:- लेखों के (रोकड़ बही/देयक) रख रखाव मे अनियमतताऐं।

नगर पालिका परिषद्, जसपुर की रोकड बही एवं देयको की जाँच मे पाया गया कि विभाग द्वारा दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर लेखो का रख रखाव नहीं किया जा रहा था जबकि उक्त प्रणाली राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है। तुलन पत्र वर्ष 2013-14 के पश्चात तैयार नहीं किया गया था मास/वर्ष के अन्त में लेखाबंदी नही की गई थी। रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित नहीं कराया गया था। तथा न ही प्रविष्टियों पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर थे। अंको पर की गई कटिंग सक्षम अधिकार द्वारा सत्यापित नही थी। बैंक समाधान विवरण भी तैयार नही किया गया था, जिसके कारण विभाग के पास उपलब्ध

विभिन्न खातों मे उपलब्ध धनराशि के ब्यौरे का मिलान करना सम्भव नहीं हो पा रहा था। तथा वर्ष के दौरान आय/व्यय, प्राप्त एवं उपलब्ध शेष धनराशि का भी ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।

देयको पर "भुगतान एवं निरस्त की मुहर वाऊचर सं., दिनांक, चैक संख्या अंकित नहीं कि गई थी तथा मार्च 2016 मे न भुनाए गए चैको का विवरण भी उपलब्ध नही था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि भविष्य में अनुपालन किया जाएगा।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि रोकड़बही विभाग का महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें आय/व्यय एंव प्राप्तियों से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध होना आवश्यक हैं।

अतः रोकड़ बही/ लेखों में अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **नगर पालिका परिषद, जसपुर** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर

वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय